(102)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष

एस 0एस0अली

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 386-दो/2013 - विरूद्ध आदेश दिनांक 03-11-2012 पारित द्वारा अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा - प्रकरण कमांक 1317/2011-12 अपील

1- श्रीमती रामकली पत्नि स्व.भैयालाल विश्वकर्मा
2- राकेश पुत्र स्व.भैयालाल विश्वकर्मा
3- रूपेश पुत्र स्व.भैयालाल विश्वकर्मा
4- कु0भावना पुत्री स्व.भैयालाल विश्वकर्मा
5- श्रीमती रश्मि पुत्री स्व.भैयालाल विश्वकर्मा
सभी निवासी धोबिया टंकी शहर रीवा
तहसील व जिला रीवा मध्य प्रदेश --- आवेदकगण

विरूद्ध

1- सूर्यप्रकाश 2- दिनेश कुमार
3- उदयप्रकाश 4- अशोक कुमार
5- अभयकुमार 6- अरूणकुमार
7- विजयकुमार पुत्रगण गणेश प्रसाद विश्वकर्मा
निवासीगण जेल रोड कनसरियत रीवा
तहसील व जिला रीवा मध्य प्रदेश ---अनावेदकगण्

(आवेदकगण के अभिभाषक श्री बृजेश पाण्डेय)
(अना.क्र.1 के अभिभाषक श्री एस.पी.द्विवेदी)
(अना.क्र.7 के अभिभाषक श्री सी.पी.शर्मा)

आ दे श

(आज दिनांक 07-6-2017 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के प्र0क0 1317/11-12 अपील में पारित आदेश दिनांक 3-11-12 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि अनावेदक कमांक-1 ने तहसीलदार हुजूर के समक्ष मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 109, 110 के अंतर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर बताया कि उनकी मॉ श्रीमती कौशिल्या देवी के नाम भूमि सर्वे कमांक 758, 721, 757 है जिन्होंने अपने जीवनकाल में बसीयत दिनॉक 21-9-10 लिखाई थी। श्रीमती कौशिल्या देवी का दिनांक 3-10-10 को स्वर्गवास हो चुका है , तद्नुसार नामांत्रण किया जाय। तहसीलदार हुजूर जिला रीवा ने प्रकरण कमांक 209 अ 6/10-11 पंजीबद्ध किया तथा पक्षकारों की सुनवाई उपरांत आदेश दिनॉक 10-6-11 पारित किया तथा श्रीमती कौशिल्या देवी के स्थान पर उसके विधिक वारिसान का नामान्तरण स्वीकार किया। इस आदेश के विरूद्ध आवेदकगण ने अनुविभागीय अधिकारी हुजूर के समक्ष अपील प्रस्तुत की। अनुविभागीय अधिकारी हुजूर जिला रीवा ने प्रकरण कमांक 94 अ-6/11-12 अपील में पारित आदेश दिनॉक 18-7-12 से अपील निरस्त करते हुये तहसीलदार के आदेश दिनांक 10-6-11 को स्थिर रखा। अनुविभागीय अधिकारी हुजूर के आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा ने प्र0क0 1317/11-12 अपील में पारित आदेश दिनांक 3-11-12 से अपील निरस्त कर दी । अपर आयुक्त के इसी आदेश से व्यथित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर हितबद्ध पक्षकारों के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर मनन् करने एंव अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से परिलक्षित है कि आवेदकगण के पिता स्वर्गीय भैयालाल ने वादग्रस्त भूमि में स्वत्व वावत् प्रथम व्यवहार न्यायाधीश रीवा के न्यायालय में वाद कमांक 56 ए/2006 प्रस्तुत किया था जो प्रमाणित न होने के कारण आदेश दिनांक 14-5-2007 से निरस्त हुआ है एंव निर्धारित हुआ कि भैयालाल विश्वकर्मा को अन्य स्थानों पर संपत्ति मिल जाने से वाद विचारित भूमि से उसका सम्बन्ध नहीं है। माननीय व्यवहार न्यायालयों के आदेश राजस्व न्यायालय पर बन्धनकारी हैं जिसके कारण तहसीलदार हुजूर ने प्रकरण कमांक 209 अ 6/10-11 में पारित आदेश दिनॉक 10-6-11 से कास्तकार

श्रीमती कौशिल्या देवी की मृत्यु उपरांत वारिसाना आधार पर उसके विधिक वारिसों का नामान्तरण किया है जिसके कारण अनुविभागीय अधिकारी हुजूर जिला रीवा ने प्रकरण कमांक 94 अ-6/11-12 अपील में पारित आदेश दिनॉक 18-7-12 में तथा अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा ने प्र0क0 1317/11-12 अपील में पारित आदेश दिनांक 3-11-12 में तहसीलदार के आदेश में हस्तक्षेप नहीं किया है। तीनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेशों के अवलोकन से उनमें निकाले गये निष्कर्ष समवर्ती है जिसके कारण विचाराधीन निगरानी में हस्तक्षेप की गुॅजायश नहीं है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन पाये जाने से निरस्त की जाती है एंव अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा द्वारा प्र0क0 1317/11-12 अपील में पारित आदेश दिनांक 3-11-12 उचित पाये जाने से यथावत् रखा जाता है।

(एस0एस0अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल,म0प्र0
ग्वालियर